सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट: 2015-16

परिशिष्ट-I

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा सहित निष्पादित की जानेवाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का परिदृश्य और सीएसआर नीति एवं परियोजना या कार्यक्रम के वेब-लिंक का संदर्भ।

नालको, 'सर्वे भवन्तु सुखिन' भावना पर चलते हुए एक सामाजिक उत्तरदायी व्यवसाय उद्यम के रूप में अपने स्टेकहोल्डरों यानी पणधारियों, अपने संयंत्रों और प्रचालन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के विकास एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है और आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में सतत विकाम हासिल करने के अपने लक्ष्य पर प्रयत्नशील रहा है। सीएसआर एवं पर्यावरण सुरक्षा पर इसकी सुदृढ़ एवं नीतिपरक नीतियों के कार्यान्वयन से कंपनी उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के पथ पर बढ़ती रही है।

कंपनी वर्ष 2011-12 से सीएसआर कार्यकलापों पर अपने निवल लाभ का 2% आबंटित कर रही है एवं वर्ष 2014-15 से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII के अधीन निर्देशित विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अपने औसत निवल लाभ का 2% व्यय कर रही है। इसके सीएसआर पक्षों की आवश्यकता के आकलन एवं स्थानीय लोगों और इनके प्रतिनिधियों द्वारा की गई आवश्यकता परिकल्पना के अनुसार ये कार्यकलाप किए जाते हैं।

कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं आर्थिक स्थिति एवं सामुदायिक देखभाल में उन्नयन, ढांचागत सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य देखरेख एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षा और साक्षरता को प्रोत्साहन, खेल-कूद, कला, शिल्प और संस्कृति आदि को बढ़ावा, जो इसके आर्थिक कार्यकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न नकारात्मक एवं सामाजिक पर्यावरण प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं एवं कंपनी की एक जिम्मेदार सार्वजनिक छवि को प्रतिष्ठित करते हैं।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित विस्तृत सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट **www.nalcoindia.com** पर प्रदर्शित की गई है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने ढांचागत सुविधाओं के विकास, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, स्वच्छता, पेय जल सुविधा, शिक्षा के प्रचार, पर्यावरणीय स्थिरता, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में अपने सीएसआर कार्यकलापों पर जोर देना भी जारी रखा है।

आसपास गाँव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए, एम एण्ड आर कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी के आसपास के गाँवों में वॉकहार्ड्ट फाउंडेशन के सहयोग से चार मोबाइल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) परिचालित की जा रही है। इसी प्रकार, एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स, अंगुल में लॉयन्स क्लब, अंगुल की सहायता से तीन मोबाइल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) का परिचालन चल रहा है। प्रत्येक एमएचयू गाँव के लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ, नैदानिक सुविधाएँ एवं जागरूकता सृजन सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) गतिविधियाँ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ प्रदान करता है। उपरोक्त के अलावा, अंगुल क्षेत्र में आसपास गाँव के लोगों के लिए, वाह्यरोगी उपचार हेतु एस एण्ड पी कॉम्प्लेक्स में एक ओपीडी केंद्र भी जुलाई 2014 से चलाया जा रहा है। इस केंद्र में योग्यता प्राप्त चिकित्सक, पैरा-मेडिकल स्टाफ कार्यरत हैं। केंद्र के जरिए आसपास गाँव के रोगियों को निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल 1,05,562 रोगियों को यहाँ से चिकित्सा उपलब्ध करायी गई है।

शिक्षा के प्रचार एवं आदिवासी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सीएसआर पहल के तहत् दामनजोड़ी क्षेत्र के 18 परिधीय गाँवों के 655 छात्रों को 3 आवासीय स्कूलों यथा (1) कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (KISS), भुवनेश्वर, (2) कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, जेपोर, (3) विकास विद्यालय, कोरापुट में औपचारिक शिक्षा के लिए प्रायोजित किया गया है। केआईएसएस स्कूली शिक्षा समाप्त होने तक छात्रों के अध्ययन, आवास एवं भोजन का खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

इसके अलावा, आसपास गाँव के छात्रों को दामनजोड़ी एवं अंगुल में अवस्थित कंपनी द्वारा सहायताप्राप्त स्कूल यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर में भी शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

सरकार की ओर से शुरू की गई पहल ''बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ'' के पथ पर चलते हुए, आपकी कंपनी ने 'नालको र अलिअली झिअ' के नाम से प्रतिभावान एवं निर्धन कन्या छात्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धनराशि सहयोग के रूप में एक योजना विकसित की है। आसपास के लोगों से इस पहल के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा प्राप्त हुई है।

स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन, कंपनी ने निर्धारित समय के अंदर 354 शौचालयों के एमएचआरडी लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए 433 शौचालयों का निर्माण किया है।

2. सीएसआर समिति की रूपरेखाः

श्री डी. महंत, स्वतंत्र निदेशक

श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक

श्री एम साहू, स्वतंत्र निदेशक

श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मानव संसाधन)

श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त)

श्री वी. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)

3. गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कम्पनी का औसत निवल लाभः

₹ 131207.00 लाख

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में राशि का दो प्रतिशत):

₹ 2624.00 लाख

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरणः

₹ 2716.65 लाख

(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशिः

₹ 2624.00 लाख

(ख) व्यय न की गई कोई राशि,

शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान किस तरह राशि व्यय की गई, का विवरण निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप चिह्नित	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है.	परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले का उल्लेख करें जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम निष्पादित हुए	व्यय राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रम अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उपशीर्षक: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय, (2) अतिरिक्त खर्च	रिपोर्टाधीन अवधि तक समेकित व्यय	व्यय की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा
01	हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम मोबाइल मेडिकल यूनिट, नैदानिक एवं सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) कार्यकलापों के द्वारा जागरूकता फैलाव	अनुसूची-VII का बिन्दु सं.(i) संरक्षात्मक स्वास्थ्य देखरेख को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले	165.00	58.03	74.63	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा सीधे
02	स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन शौचालयों का निर्माण एवं अन्य कार्यकलाप	अनुसूची VII का बिन्दु सं.(i) संरक्षात्मक स्वास्थ्य देखरेख एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले और आंध्रप्रदेश का विशाखापत्तनम् जिला	500.00	160.30	200.44	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा सीधे
03	प्लांट के आसपास गाँव में एवं पुरी में नबकलेवर के दौरान सुरक्षित पेय जल प्रदान करना	अनुसूची VII का बिन्दु सं.(i) सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	ओड़िशा के अनुगुल, कोरापुट और पुरी जिले	92.41	70.98	70.98	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा सीधे
04	शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रतिष्ठित आवासीय स्कूलों में आदिवासी बच्चों की औपचारिक शिक्षा को प्रायोजित करना	अनुसूची VII का बिन्दु सं.(ii)- विशेष शिक्षा समेत शिक्षा को बढ़ावा देना	ओड़िशा के कोरापुट और अनुगुल जिले	1450.07	2053.42	3306.25	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा सीधे

1	2	3	4	5	6	7	8
05	शारीरिक विकलांग (पीडब्ल्यूडी) छात्रों को उनकी आजीविका के लिए रोजगार प्रोत्साहन प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करना	अनुसूची VII का बिन्दु सं. (ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और निःशक्त जनों में रोजगार प्रोत्साहित व्यावसायिक कौशल विवरण एवं आजीविका प्रोत्साहित कार्यक्रम	ओड़िशा के कोरापुट और अनुगुल जिले	-	-	92.00	कंपनी द्वारा सीधे
06	अनाथों के लिए अद्भुता चिल्ड्रेन होम को सहायता देना	अनुसूची VII का बिन्दु सं. (iii) महिलाओं एवं अनाथों के लिए घरों एवं हॉस्टल का निर्माण	ओड़िशा का अनुगुल जिला	55.15	55.15	55.15	नालको फाउंडेशन
07	वृक्षारोपण के द्वारा पर्यावरणीय स्थायित्व, भूवैज्ञानिक संतुलन सुनिश्चित करना	अनुसूची VII-का बिन्दु सं. (iv) पर्यावरणीय स्थायित्व, भूवैज्ञानिक संतुलन सुनिश्चित करना	ओड़िशा के कोरापुट एवं खुर्दा जिले	252.00	105.74	188.74	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा सीधे
08	राष्ट्रीय धरोहर एवं संस्कृति की सुरक्षा में योगदान और पारंरिक कला और हस्तशिल्प का विकास	अनुसूची VII का बिन्दु सं. (v) - राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की संरक्षा	ओड़िशा का कोरापुट जिला	10.00	10.00	35.28	कंपनी द्वारा सीधे
09	अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/ महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास/कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष/केंद्रीय सरकारी कोष में योगदान	अनुसूची VII का बिन्दु सं. (viii) - प्रधानमंत्री राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा गठित किसी अन्य कोष में योगदान	संपूर्ण भारत	-	-	400.00	नालको फाउंडेशन
10	आसपास के गाँवों एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास कार्यकलाप	अनुसूची VII-का बिन्दु सं. (x) - ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले और मध्यप्रदेश के ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले	584.45	203.03	203.03	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा सीधे
योगः					**2716.65**	**4626.50**	

- उपर्युक्त सीएसआर व्यय सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय विवरणों का भाग है।
- नालको फाउंडेशन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अधीन एक ट्रस्ट है जिसे विशेष रूप से कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों के लिए स्थापित किया गया है।
- कुछ परियोजनाओं का निष्पादन कंपनी के परिचालित क्षेत्रों के अंदर उपयुक्त एनजीओ के सहयोग से नालको फाउंडेशन द्वारा किया गया है।

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इसके किसी भाग में, औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में असमर्थ होती है, तो कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि व्यय न करने का कारण प्रदान करना होगा।

कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय किया है।

7. कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुसार सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी की गई है।

हस्ता.
(डॉ. तपन कुमार चान्द)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हस्ता.
(श्री दीपंकर महंत)
स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष
नि.सा.उ. व संधारणीयता विकास समिति